न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 18/560

1. ईश्वर लाल आयु 70 वर्ष आत्मज गेन्दया जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. छोटूलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. अमरी बाई पुत्री भूरा पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 3/1. नन्दलाल माता अमरी बाई पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 3/2. रतन लाल माता अमरी बाई पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 3/3. मूलचन्द माता अमरी बाई पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. पुष्पाबाई पुत्री भूरा पत्नी पेमा जाति माली निवासी काछी घांटी के पास हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. लुहन्दा आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. गोपीलाल आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. मोती लाल आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. भूरी बाई पुत्री बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. रामकिशन आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. भंवर लाल आत्मज़ बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. रामलक्ष्मण आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

12. उदा लाल आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. सीताराम आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. मोत्या पुत्री बरधी लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
15. गुलाब पुत्री बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
16. सीता पुत्री बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
17. रामदेव आत्मज मोहन लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
18. टोनू आत्मज धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
19. नन्दकिशोर आत्मज धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
20. लाड पुत्री धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
21. मंजू पुत्री जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
22. उच्छब लाल आत्मज बोहत्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    22/1. गोपाल आत्मज उच्छब लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    22/2. हजारी लाल आत्मज उच्छब लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    22/3. प्रकाश आत्मज उच्छब लाल लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    22/4. सोनालाल आत्मज उच्छब लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
23. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
24. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

<u>निर्णय</u> दिनांकः 10.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

करण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 03 किता रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि खातेदार सरकार भूरा बोहत्या पिता धन्ना कौम माली दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नम्बर 1655 थे जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1782 रकबा 19 बिस्वा बने हैं । प्रतिवादी कम 1 से 4 के पिता भूरा व प्रतिवादी कम 05 से 09 के पिता व प्रतिवादी कम 10 से 12 के दादा व प्रतिवादी कम 20 से 23 के पड दादा ने वादग्रस्त आराजी पूर्व खसरा नम्बर 1655 रकबा 19 बिस्वा भूमि को दिनांक 23.06.1972 को 03/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर बेचान कर वादीगण के पिता व दादा गेन्दिया को कब्जा संभला दिया था तभी से उक्त भूमि पर वादी के दादा/पिता व वादी काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण कम 1 से 23 का कोई हक व अधिकार एवं स्वत्व नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर सन् 1972 से वादीगण निरन्तर काबिज काश्त होने से वे कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज चले आने से उसका फायदा उठाकर ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने एवं उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादीगण खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में से सरकार खातेदार का अंकन विलोपित किया जाकर वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप एवं दखलन्दाजी नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक के 03.04.2017 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर किये बिना वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 18 व 23 एवं 24 की तलबी करवाकर उनका जवाब लेने के उपरान्त तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादी अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है । वादीगण काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण के दादा भूरा एवं बोहत्या ने वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता एवं दादा को बेचान कर सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर बेचान का लेख 03/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया था । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । इसी आधार पर वादीगण ने खातेदारी घोषणा का दावा किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । प्रतिवादी सरकार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही नहीं की गई है । प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी संवत् 2003 की खसरा गिरदावरी के अनुसार अपीलान्ट के पिता एवं दादा जोता दर्ज हैं फिर भी वादीगण का कब्जा नहीं मानकर त्रुटि की है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के अनुसार वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । रेस्पोडेन्टगण ने वादीगण के दावे का खण्डन नहीं किया है फिर भी दावा खारिज किया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 2019 पेज 3827 में यह माना है कि प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.04.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2019 पेज 3827 उद्धरत की ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक वाद यह कथन करते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने 03/– रूपये के स्टाम्प पर बेचान कर कब्जा वादीगण के दादा एवं पिता को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही संभला दिया था । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा है इस कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वो खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.03.2015 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 18 स्वयं उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादीगण क्रम 1 से 17 एवं 19 से 22 की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह अभिभाषक ने अण्डरटेकिंग पर उपस्थिति दी है । दिनांक 03.12.2015 के अनुसार प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर खसरा गिरदावरी संवत् 2013 –15 की प्रमाणित प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2014–20 की प्रमाणित प्रति, असल बेचाननामा जो कि अपंजीकृत है, नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 6.15 बीघा भूमि सरकार खातेदार भूरा, बहोत्या पिसरान धन्ना के नाम खाते में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2019–22, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 17 किता की रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि सोहन, रामदेव पिसरान हीरा व अन्य के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 12 किता की 09 बीघा 03 बिस्वा भूमि माधोलाल वल्द हजारी लाल व अन्य के खाते में दर्ज है ।

वादीगण अपीलान्ट का यह कथन है कि साबिक खसरा नम्बर 1655 के हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 19 बिस्वा बना है अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पेश की गई है जो प्रमाणित प्रति नहीं है । इस फोटो प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1655 का हाल खसरा नम्बर 1782 बना है । हाल खसरा नम्बर 1782 मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 भूरा बोहत्या पिसरान धन्ना के खाते में दर्ज है । वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्श नहीं करवाया गया है और गवाहान रामदेव पीडब्ल्यू–1 ईश्वर लाल पीडब्ल्यू–2, श्रृद्धालाल पीडब्ल्यू–3 के जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उनकी ताईद शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में आकर नहीं की है, इस कारण सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इनको मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं जा सकता । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । इस प्रकार वादी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं ।

12. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी कथन किया है कि सरकार से जवाबदावा प्राप्त किया जाकर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस कम में हमारा मत है कि सरकार इसमें फोरमल पक्षकार है जो आवश्यक पक्षकार हैं उनके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.12.2015 को एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है ।

13. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपंजीकृत विकय के दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय के द्वारा कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी एक तरफ वादग्रस्त आराजी में विकय के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं वही दूसरी ओर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्ट अपने दावे को अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये हैं । जहाँ तक विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर एआईआर 2019 पेज 3827 का प्रश्न है वो इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है क्योंकि वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है । इस दावे में एक तरफ विकय से कय करना और दूसरी तरफ कब्जा मुखालफाना का कथन करते हैं जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है जिसमें हस किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

नेर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

संख्या : 18/560

1. ईश्वर लाल आयु 70 वर्ष आत्मज गेन्दया जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. छोटूलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. अमरी बाई पुत्री भूरा पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 3/1. नन्दलाल माता अमरी बाई पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 3/2. रतन लाल माता अमरी बाई पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   - 3/3. मूलचन्द माता अमरी बाई पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. पुष्पाबाई पुत्री भूरा पत्नी पेमा जाति माली निवासी काछी घांटी के पास हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. लुहन्दा आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. गोपीलाल आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. मोती लाल आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. भूरी बाई पुत्री बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. रामकिशन आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. भंवर लाल आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

लक्ष्मण आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

दा लाल आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

सीताराम आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

14. मोत्या पुत्री बरधी लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
15. गुलाब पुत्री बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
16. सीता पुत्री बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
17. रामदेव आत्मज मोहन लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी । बून्दी ।
18. टोनू आत्मज धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
19. नन्दकिशोर आत्मज धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी बून्दी ।
20. लाड पुत्री धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
21. मंजू पुत्री जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
22. उच्छब लाल आत्मज बोहत्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    - 22/1. गोपाल आत्मज उच्छब लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    - 22/2. हजारी लाल आत्मज उच्छब लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    - 22/3. प्रकाश आत्मज उच्छब लाल लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
    - 22/4. सोनालाल आत्मज उच्छब लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
23. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
24. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.04.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 175/दावा/2014

1. ईश्वर लाल आयु 70 वर्ष आत्मज गेन्दया जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. छोटूलाल आत्मज भूरा जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. अमरी बाई पुत्री भूरा पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी आकोल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. पुष्पाबाई पुत्री भूरा पत्नी पेमा जाति माली निवासी काछी घांटी के पास हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. लुहन्दा आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. गोपीलाल आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. मोती लाल आत्मज बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. उच्छब बाई पुत्री बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा ।
9. भूरी बाई पुत्री बोहत्या जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. रामकिशन आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. भंवर लाल आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. रामलक्ष्मण आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
13. उदा लाल आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. सीताराम आत्मज बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
15. मोत्या पुत्री बरधी लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
16. गुलाब पुत्री बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
17. सीता पुत्री बरधीलाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
18. रामदेव आत्मज मोहन लाल जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
19. टोनू आत्मज धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
20. नन्दकिशोर आत्मज धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
21. लाड पुत्री धन्ना जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
22. मंजू पुत्री जाति माली निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
23. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
24. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.04.2017 बहाल रखा ज़ाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 10.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा